सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-320/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 26 अगस्त 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-निजामाबाद

हत्या के अभियोग में फरार चल रहे पांच हत्यारे 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार

दिनांक 24.08.2020 को वादी श्री शुभम यादव पुत्र शिवधारी यादव सा0 कुम्हवट थाना महराजगंज आजमगढ़ द्वारा वादी के मामा सुरेन्द्र यादव उर्फ नाटे पुत्र स्व 0 फौजदार यादव ग्राम नेवादा थाना निजामाबाद आजमगढ़ जो अपने साथी अजीत यादव उर्फ डब्लू पुत्र विनोद यादव ग्राम नेवादा थाना निजामाबाद आजमगढ़ के साथ रामचन्दर यादव के घर ग्राम नन्दपुर से तेरवीं का भोजन करके वापस घर आते समय अभियुक्तगण मनोज सिंह पुत्र शिव कुमार सिंह आदि 08 नफर द्वारा एक राय होकर प्रार्थी के मामा सुरेन्द्र यादव उर्फ नाटे उपरोक्त को नेवादा चौराहे पर समय करीब 08.30 बजे रात्रि में रोककर गाली गलौज करने व मनोज सिंह द्वारा धमकी देते हुए जान से मारने के लिए ललकारना जिस पर अमरजीत सिंह द्वारा पिस्टल से एक गोली प्रार्थी के मामा सुरेन्द्र यादव उर्फ नाटे उपरोक्त को लक्ष्य करके मारना जिसमे प्रार्थी के मामा सुरेन्द्र यादव उर्फ नाटे उपरोक्त का बाल बाल बच जाना तथा गोल्डी यादव द्वारा अमरजीत सिंह से पिस्टल लेकर एक फायर प्रार्थी के मामा सुरेन्द्र यादव उर्फ नाटे उपरोक्त को लक्ष्य करके मारना जिसमे प्रार्थी के मामा सुरेन्द्र यादव उर्फ नाटे उपरोक्त का बाल - बाल बच जाना पुनः राहुल सिंह द्वारा गोल्डी यादव से पिस्टल लेकर प्रार्थी के मामा सुरेन्द्र यादव उर्फ नाटे उपरोक्त को जान से मारने की नियत से लगातार दो फायर करना जिसमे से एक गोली प्रार्थी के मामा सुरेन्द्र यादव उर्फ नाटे उपरोक्त को लग जाना जिससे मौके पर ही प्रार्थी के मामा सुरेन्द्र यादव पुत्र नाटे उपरोक्त की मृत्यु हो जाना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु 0अ0सं0 150/20 धारा 147/148/149/504/506/302/342 भादवि में अभियोग पंजीकृत कराना।

जघन्य घटना घटित होने पर **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह** द्वारा जघन्य हत्या में नामजद अभियुक्तों की त्वरित गिरफ्तारी एवं आलाकत्ल बरामद करने हेतु निर्देशित किया गया जिसपर अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.08.2020 को प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद अनवर अली खांन मय हमराहीयान द्वारा हत्या में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके मिलने के स्थानों पर लगातार छापा मारी की जाने लगी तभी भ्रमण के दौरान ही जरिये मुखबिर खास सूचना मिली मु0अ0सं0 150/20 धारा 147/148/149/504/506/302/342 भादवि में नामजद अभि0 संजय सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह ग्राम बकिया बड़हरिया थाना निजमाबाद आमजगढ़ गिरफ्तारी से बचने हेतु फरीदाबाद तिराहे पर वाहन का इन्तजार कर रहा है अगर जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास करके मैं प्रभारी निरीक्षक मय व0उ0नि0 आकाश कुमार मय हमराही मय मुखबिर के मौके से प्रस्थान कर फरीदाबाद तिराहा पर पहुँचा तो मुखबिर ने वहा पर खड़े एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर हट बढ़ गया मुखबिर द्वारा बताया गये व्यक्ति के पास जैसे ही पुलिस वाले पहुचे कि वह व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया कि उसको मौके पर ही घेर कर पकड़ लिया गया , पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम संजय सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह ग्राम बकिया बड़हरिया थाना निजमाबाद आमजगढ़ बताया कि यह पूरी तरह से विश्वास करने के उपरान्त कि उपरोक्त अभियुक्त मु0अ0सं0 150/20 धारा 147/148/149/504/506/302/342 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त ही है। पूरी तरह विश्वास करने के उपरान्त अपराध का बोध कराकर दिनांक 25.08.2020 को समय करीब 18.10 बजे अन्तर्गत धारा 147/148/149/504/506/302/342 भादवि में हिरासत पुलिस में लिया गया ।गिरफ्तार कर थाना स्थानीय के हवालात मर्दाना में रखा गया तथा घटना के सम्बन्ध में पूछताछ कि गयी तो घटना में सम्मिलित होना बता रहा है , अन्य अभियुक्तों के मिलने के स्थान के सम्बन्ध में पूछा गया तो अनिभिज्ञता जाहिर की पुनः थाना से प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद मय हमराहीयान के रवाना होकर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अन्य 03 अभियुक्त 1. मनोज सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह 2. आजाद उर्फ सोलू पुत्र विवेक सिंह 3. अमरजीत सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह साकिनान बकिया बड़हरिया थाना निजामाबाद आजमगढ़ कुजियारी काली मां के चौरा के पास खड़े होकर भागने के फिराक में खड़े हैं अगर जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास करके मैं प्रभारी निरीक्षक मय व0उ0नि0 आकाश कुमार मय हमराही मय मुखबिर के मौके से प्रस्थान कर कुजियारी काली चौरा पर पहुँचा तो मुखबिर ने वहा पर खड़े तीन व्यक्तियों की तरफ इशारा कर हट बढ़ गया मुखबिर द्वारा बताया गये व्यक्तियों के पास जैसे ही पुलिस वाले पहुचे तो वे लोग पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किये कि उसको मौके पर ही घेर कर पकड़ लिया गया , पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो उन्होनें अपना नाम क्रमशः 1. मनोज सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह 2. आजाद उर्फ सोलू पुत्र विवेक सिंह 3. अमरजीत सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह साकिनान बकिया बड़हरिया थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताया कि यह पूरी तरह से विश्वास करने के उपरान्त कि उपरोक्त अभियुक्तगण मु0अ0सं0 150/20 धारा 147/148/149/504/506/302/342 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त ही है। पूरी तरह विश्वास करने के उपरान्त अपराध का बोध कराकर दिनांक 25.08.2020 को समय करीब 20.50 बजे अन्तर्गत धारा 147/148/149/504/506/302/342 भादवि में हिरासत पुलिस में लिया गया ।गिरफ्तार कर थाना स्थानीय के हवालात मर्दाना में रखा गया तथा घटना के सम्बन्ध में पूछताछ कि गयी तो घटना में सम्मिलित होना बता रहे हैं , अन्य अभियुक्तों के मिलने के स्थान के सम्बन्ध में पूछा गया तो अनिभिज्ञता जाहिर किये चूकि नावक्त होने एवं मा0न्यायालय खुले ना होने के कारण मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया जा सकता था उपरोक्त चारों अभियुक्तों को हवालात मर्दाना में पुलिस निगरानी में रखा गया। पुनः दिनांक 26.08.2020 प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र में मामूर होकर घटना में सम्मलित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके मिलने के सम्बधित स्थानो पर दबिश दी जा रही थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली मु0अ0सं0 150/20 धारा 147/148/149/504/506/302/342 भादवि में नामजद अभि0 राहूल सिंह पुत्र मनोज सिंह ग्राम बकिया बड़हरिया थाना निजमाबाद आमजगढ़ गिरफ्तारी से बचने हेतु रानी पुर तिराहे पर वाहन का इन्तजार कर रहा है अगर जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास करके मैं प्रभारी निरीक्षक मय व0उ0नि0 आकाश कुमार मय हमराही मय मुखबिर के मौके से प्रस्थान कर रानीपुर तिराहा पर पहुँचा तो मुखबिर ने वहा पर खड़े एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर हट बढ़ गया मुखबिर द्वारा बताया गये व्यक्ति के पास जैसे ही पुलिस वाले पहुचे कि वह व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया कि उसको मौके पर ही घेर कर पकड़ लिया गया, पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम राहूल सिंह पुत्र मनोज सिंह ग्राम बकिया बड़हरिया थाना निजमाबाद आमजगढ़ बताया कि यह पूरी तरह से विश्वास करने के उपरान्त कि उपरोक्त अभियुक्त मु0अ0सं0 150/20 धारा

147/148/149/504/506/302/342 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त ही है। पूरी तरह विश्वास करने के उपरान्त अपराध का बोध कराकर समय करीब 11.30 बजे अन्तर्गत धारा 147/148/149/504/506/302/342 भादवि में हिरासत पुलिस में लिया गया ।गिरफ्तार कर थाना स्थानीय के हवालात मर्दाना में रखा गया चूकि राहूल सिंह उपरोक्त द्वारा ही पिस्टल से फायर कर सुरेन्द्र यादव उर्फ नाटे की हत्या की गयी है तथा उसके द्वारा घटना मे प्रयुक्त किया गया आलाकत्ल पिस्टल को उसकी निशानदेही पर बरामद कराये जाने के क्रम मे थाना हाजा से रवाना होकर अभियुक्त राहुल सिंह की निशानदेही पर मुलराजपुर रोड के पास धान के खेत से आलाकत्ल एक अदद पिस्टल 32 बोर नाजायज बरामद किया गया है। चूकि शेष वांछित अभियुक्तगण गोल्डी यादव , अमित यादव, गगन यादव अभियुक्त राहुल सिंह के घनिष्ठ मित्र है तथा घटना के सापेक्ष्य मे सुपष्ट साक्ष्य संकलन करने व वांछित अभियुक्तगण गोल्डी यादव आदि 03 नफर की गिरफ्तारी करने के प्रयास हेतु अभियुक्त राहुल सिंह को दिनांक 27/8/2020 को मा0 न्यायालय के समक्ष अन्दर 24 घण्टा मे रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। शेष 04 गिरफ्तार अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण से हत्या के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया तो बता रहे हैं कि गोल्डी यादव ने करीब एक सप्ताह पहले अपने साथ पढ़ने वाले सौरभ यादव साकिन फरीदाबाद को गाली देते हुए कलुवा बोल दिया था । उस समय सुजीत उर्फ डब्लू पुत्र विनोद यादव मौके पर था। इसके बाद सुजीत उर्फ डब्लू ने ये बात बढ़ा चढ़ाकर सौरभ यादव को बता दी। सौरभ यादव इस बात को पूछने के लिए गोल्डी यादव के घनिष्ठ मित्र राहुल सिंह के लकड़ी की दुकान ईदगाह के पास बड़हरिया में आया जहां पर गोल्डी भी मौजूद था। सौरभ यादव ने कहा हमको सबके बीच कलवा मत कहा करो इस बात पर दोनो के बीच समझौता हो गया। इसके बाद सुजीत उर्फ डब्लू व सुरेन्द्र यादव उर्फ नाटे तेरहवी का भोजन करके नन्दपुर से आ रहा था उसी बीच रास्ते में जाते समय सुजीत उर्फ डब्लू को गोल्डी यादव , अमीत यादव, अमरजीत सिंह, गगन यादव मिले तो गोल्डी ने गाली देते हुए सुजीत उर्फ डब्लू से कहा तू सौरभ यादव की कलुवा वाली बात को इधर उधर बढ़ा चढ़ाकर क्यो कर रहा है कि इसी बीच अमरजीत सिंह गोल्डी यादव की तरफ से बोलने लगा तो सुजीत उर्फ डब्लू व सुरेन्द्र यादव उर्फ नाटे ने अमरजीत सिंह से कहा कि हम यादवो के बीच में ठाकुरो को नही बोलना चाहिए कि उसी दौरान सुजीत यादव उर्फ डब्लू ठाकुर पंडितो को गाली देने लगा तो बात बढ़ने लगी तो सुजीत यादव उर्फ डब्लू व सुरेन्द्र यादव उर्फ नाटे गोल्डी पक्ष के लोगो की संख्या ज्यादा पाकर मौके से हट गया व अपने गांव की ओर मोटर साइकिल से चला गया । जब सुरेन्द्र उर्फ नाटे व सुजीत उर्फ डब्लू नेवादा चौराहे पर पहुँचे तो पहले से ही मनोज सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह , अमरजीत सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह , राहुल सिंह पुत्र मनोज सिंह , अमित यादव पुत्र मोती यादव , गगन यादव पुत्र अज्ञात, गोल्डी यादव पुत्र शिवबरन, सोलू सिंह उर्फ आजाद पुत्र विवेक सिंह व संजय सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह निवासीगण बकिया लक्षिरामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ मौजूद मिले क्योकि गोल्डी यादव ने रास्ते मे ही फोन करके मनोज सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह , राहुल सिंह पुत्र मनोज सिंह, सोलू सिंह उर्फ आजाद पुत्र विवेक सिंह व संजय सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह को पहले ही घटना करने हेतु नेवादा चौक पर बुलवा लिया था । मार पीट के दौरान वादी को सुरेन्द्र उर्फ नाटे ने फोन कर दिया तो वादी पक्ष के भी बहुत लोग मौके पर आ गये थे कि तभी राहुल सिंह ने सुजीत उर्फ डब्लू पक्ष के सुरेन्द्र यादव उर्फ नाटे को गोली मार दी तो सुजीत उर्फ डब्लू पक्ष के लोगो को अपनी तरफ आते देख हमलावर होते देख सभी मुल्जिम अपनी अपनी मोटर साइकिले छोड़कर भाग गये तथा आक्रोशित भीड़ ने गोल्डी यादव व अमित यादव की दोनो बुलट मोटर साइकिल तथा राहुल सिंह की होंडा साइन गाड़ी को आग के हवाले कर दिया । यह घटना मुल्जिम पक्ष द्वारा अपना वर्चस्व बनाने के लिए कि हमारे साथ यादव ही नही ठाकुर भी है , के कारण हुई है क्योकि घटना के समय नेवादा चौक पर वादी पक्ष ने अमरजीत सिंह से कहा था कि मामला यादव यादव का है तुम ठाकुर इन यादवो के साथ क्यो आये हो , इस मामले में ठाकुर पंडित के मायने कुछ नही है।

अपराध का तरीका- जातिगत टिप्पणी को लेकर घेर कर गोली मारदेना।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0- 150/20 धारा 147/148/149/504/506/302/342 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्त मनोज सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह साकिन बकियालक्षिरामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	28/05	147/148/149/307/504/506 भादवि	निजामाबाद	आजमगढ
2.	278/05	110Cr.PC	निजामाबाद	आजमगढ
3.	423/05	25/27 A.Act	गम्भीरपुर	आजमगढ़
4.	277/06	110Cr.PC	निजामाबाद	आजमगढ
5.	540/06	3/4 गुण्डा एक्ट	निजामाबाद	आजमगढ
6.	144/07	110Cr.PC	निजामाबाद	आजमगढ
7.	155/07	3/4 गुण्डा एक्ट	निजामाबाद	आजमगढ
8.	422/07	307 भादवि	गम्भीरपुर	आजमगढ़
9.	87/12	110Cr.PC	निजामाबाद	आजमगढ
10.	48/15	4/10 उ0प्र0 वन संरक्षण अधि0	निजामाबाद	आजमगढ
11.	85/19	147/323/504 /506/325 भादवि व 3(2)5क, 3(1)द, 3(1)ध एससी एसटी एक्ट	निजामाबाद	आजमगढ
12.	150/20	147/148/149/504/506/302/342भादवि	निजामाबाद	आजमगढ

अभियुक्त अमरजीत सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह साकिन बकियालक्षिरामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद

1.	274/16	323/452/504/506 भादवि	निजामाबाद	आजमगढ
2.	85/19	147/323/504 /506/325 भादवि व 3(2)5क, 3(1)द, 3(1)ध एससी एसटी एक्ट	निजामाबाद	आजमगढ
3.	150/20	147/148/149/504/506/302/342 भादवि	निजामाबाद	आजमगढ

अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र मनोज सिंह साकिन बकियालक्षिरामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	85/19	147/323/504 /506/325 भादवि व 3(2)5क, 3(1)द, 3(1)ध एससी एसटी एक्ट	निजामाबाद	आजमगढ
2.	150/20	147/148/149/504/506/302/342 भादवि	निजामाबाद	आजमगढ

अभियुक्त सोलू सिंह उर्फ आजाद पुत्र विवेक सिंह साकिन बकियालक्षिरामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	85/19	147/323/504 /506/325 भादवि व 3(2)5क, 3(1)द, 3(1)ध एससी एसटी एक्ट	निजामाबाद	आजमगढ
2.	150/20	147/148/149/504/506/302/342 भादवि	निजामाबाद	आजमगढ

अपराधिक इतिहास अभियुक्त संजय सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह साकिन बकियालक्षिरामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	150/20	147/148/149/504/506/302/342 भादवि	निजामाबाद	आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1- संजय सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह बकिया बड़हरिया थाना निजामाबाद, आजमगढ़

2. मनोज सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह बकिया बड़हरिया थाना निजामाबाद, आजमगढ़

3. आजाद उर्फ सोलू पुत्र विवेक सिंह बकिया बड़हरिया थाना निजामाबाद, आजमगढ़

4. अमरजीत सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह बकिया बड़हरिया थाना निजामाबाद, आजमगढ़

5. राहूल सिंह पुत्र मनोज सिंह बकिया बड़हरिया थाना निजामाबाद, आजमगढ़

बरामदगी-

1- हत्या में प्रयोग कि गयी एक अदद पिस्टल व एक जिन्दा कारतूस .32 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. निरीक्षक अनवर अली खाँ प्रभारी निरीक्षक थाना निजामाबाद आजमगढ़ मय हमराहीयान

2. व0उ0नि0 श्री आकाश कुमार थाना निजामाबाद आजमगढ़